

राजस्थान सरकार  
सांख्यिकी विभाग


क्रमांक:-एफ 5(64)/सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1169

दिनांक:- 15/10/2019

परिपत्र

भारत की जनगणना-2021 को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

इसे आवश्यक समझा जावे।

  
(डी. बी. गुप्ता)  
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
- 2 समस्त अति. मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 3 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- 4 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 5 विशिष्ट सहायक, उप मुख्य मंत्री, राजस्थान।
- 6 समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
- 7 समस्त सभागीय आयुक्त/ जिला कलेक्टर।
- 8 समस्त विभागाध्यक्ष।
- 9 अधिकक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

- 1 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- 2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3 रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
- 4 उप निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ. 1-11018/1/2019/Census/568 दिनांक 20.09.2019

  
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 23, मंगलवार, शाके 1941-अक्टूबर 15, 2019  
Asvina 23, Tuesday, Saka 1941-October 15, 2019

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सांख्यिकी विभाग

परिपत्र

जयपुर, अक्टूबर 15, 2019

संख्या प. 5(64) सीओआई/सम/डीईएस:-भारत की जनगणना - 2021 को मध्य नजर रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के समस्त जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में 31 दिसम्बर, 2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। इसे आवश्यक समझा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,  
डी.बी. गुप्ता,  
मुख्य सचिव।

1807

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।